ले ज गुरमीत सिंह,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,
वीएसएम (से नि)
राज्यपाल एवं
कुलाधिपति, गो0ब0पंत कृषि एवं
प्रौ0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर।

सत्यमेव जयते

राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/C2-4-2(3)/2021

देहरादून : दिनांक : 15 अप्रैल, 2022

आदेश

उ0प्र0 कृषि एवं प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा प्रवृत्त एवं यथा अनुकूलित उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–11(6) के अन्तर्गत आदेश संख्या–2063, दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 द्वारा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने अथवा दिनांक 16.10.2021 से छः माह की अवधि, जो भी पहले हो, तक के लिए डा0 तेज प्रताप को गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। यह छः माह का कार्यकाल दिनांक 15.04.2022 को समाप्त हो रहा है।

नियमित कुलपति के चयन की प्रक्रिया शासन स्तर पर गतिमान है, जिसमें अभी समय लगने की सम्भावना है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 कृषि एवं प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा–11(1) के तहत नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए धारा–11(7) के अन्तर्गत कुलसचिव, गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय द्वारा कुलपति पद के दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

(ले ज गुरमीत सिंह)
कुलाधिपति।

संख्या : 191 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/C2-4-2(3)/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन नई दिल्ली।
5. कुलसचिव, गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पंतनगर।
6. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।